



प्रधान मंत्री पंचल बीमा योजना (PMFBY) गोप्तिक देश-गोप्तिक योजना मूलमन्त्र अन्तर्गत १०१७ मंसिहारे भारत वरकारक द्वारा आरम्भ करायाइथवा एक प्रमुख योजना। प्राकृतिक विपरित यूक्ति पंचल क्षति/नष्टि द्वारा प्रभावित होइथवा चाषामानकू आर्थिक सहायता प्रदान करि कृषि शेत्रे यांत्रिक उपादन सहायता एहार लक्ष्य अस्ते।

#### नामाङ्कन पाइँ उम्हे एवं आवश्यकीय दस्ताविज़:

	रणधारी कृषकमाने	रणधारणा करिनथवा कृषक / अन्य कृषकमाने
नामाङ्कनर उम्हे	ब्याङ्क, येत्तोरु KCC प्राप्त होउअछि।	निकटरम ब्याङ्क शाखा, १. जनसेवा केन्द्र (CSCs), १. बीमा मध्यमी, यिधायालक्ष कम्पानीतारु, न्यायाल उपकरणसुयानस पोर्टाल (NCIP): <a href="http://www.pmfby.gov.in">www.pmfby.gov.in</a>
आवश्यकीय दस्ताविज़	प्रभावित पंचल, जमीर बिबरणी / बीमा अन्तर्कृत एरिआ, याहा KCCरे रणधारी कृषक घोषित करिथवे, यदि किछि अछि ताहा ग्रहण करिबा पाइँ आधार नम्हर एवं ब्याङ्क खाता बिबरणी	बीमा अन्तर्कृत हेबाकु थवा प्रभावित जमीर सहायक दस्ताविज अर्थात् रेकर्ट अप्र राइट (ROR), जमीर दक्षल यार्टिपीकेट (LPC), लिङ्ग डिट एवं भाग चाष युक्त रुक्ति / अनुबन्धित बिबरणी, दाबा अर्थराशी, यदि किछि अछि ताहा ग्रहण करिबा पाइँ आधार नम्हर एवं ब्याङ्क खाता बिबरणी

कृषकमानक पञ्जिकरण पाइँ संभाबित अन्तिम तारिख: खरिष-३१ जुलाइ एवं रवि-३१ डिसेम्बर

#### कृषकक पाइँ सर्वाधुक प्रिमियम अंशः

शाखा, भालि एवं टेलिबीज उम्हित अन्यान्य खाद्य शाखा	खरिष	रवि
बार्षिक उदयान कृषि एवं ब्यावसायक पंचल	९%	१.४%
		४%

क्षयक्षति भरणा: बीज रोपण ठारु अमल परिसमाप्ति पर्याप्त हेबाकु थवा निवारण बिहिन सम्पुष्टि र ब्यापक जनसुयानस कठरेजे/(प्रतिकूल जलबायू परिस्थिति) संशोधुत परिचालना दिशानिर्देश प्रावधान अनुसारे हेब।

संकट जनित बीमा रक्षण	क्षतिभरणा / दाबार प्रावधान	क्षयक्षति युक्तना
बीज रोपण सुरक्षा / चारारोपण / रोगपोक सुरक्षा	बीज रोपण सुरक्षा / चारारोपण / रोगपोक सुरक्षा (अंकल आधाररे)	अंकल आधारित दृष्टिकोणरु लाग्नु हेब। ब्यक्तिगत चाषा युक्तना देबा आवश्यक नाहि। राज्य सरकारक द्वारा प्रतिनिधित्व युक्तना आधाररे क्षयक्षति र आकलन करायीब।
मध्यवर्ति सम्पादन प्रतिकूलता	संभाबित दाबार ७४% अनोपचारिक देय प्राप्ति (अंकल आधाररे)	
अमल परबर्ति क्षयक्षति	अमलर र बाध्यक दुइ सप्ताह अवधि पर्याप्त येउँ पंचलकू काटिबा, खेलाइबा ओ शुश्काइबा / अमल परे छोट बिडा आकाररे जमीरे पढि रहिथवा पंचलकू कुआपथर बृष्टि, बात्या, बात्या जनित बर्षा एवं अदिनिआ बर्षा यमस्या पाइँ।	स्थानीय आपदा द्वारा नष्टि जनित क्षयक्षति एवं अमल परबर्ति क्षतिकूलनसुयानस कम्पाना उत्तरारु ब्यक्तिगत आधाररे आकलन करायीब एवं एथपार्क्टि क्षयक्षतिर युक्तना चाषा/नियुक्ति एजेन्टिक द्वारा मिलिबा आवश्यक। ७७ घाषा मध्यरे चाषा द्वारा यिधायालक्ष राष्ट्रीय पंचल बामा पोर्टालकू युक्तना दिआयाइपारे किम्या अतिरिक्त ७४ घाषा मध्यरे जनसुयान्दू कम्पाना, संपूर्ण ब्याङ्क स्थानीय सरकारक नियुक्ति बिभागाज्ञिल्लाअ अनुकारा किम्या टोल्प्रि नं. १८००११८४८४ माध्यमरे किम्या राष्ट्रीय पंचल बामा पोर्टाल जरिआरे। अतिरिक्त ७४ घाषा एजेन्टिक द्वारा मानकर यस्तुत जनसुयान्दू कम्पाना उम्हित पञ्जिकरण पाइँ उपलब्ध अस्ते।
स्थानीय बिपर्याप्ति	स्थानीय बिपर्याप्ति रूपे घोषित होइथवा कुआपथर बृष्टि, भूखलन, बन्या, बादल पाटिबा एवं अधूस्तुति अंकलरे पृथक रूपे अवस्थापित पार्मारे बिकूल योग्य लागिथवा प्राकृतिक निर्णायक यमस्या पाइँ।	

#### कृषक बन्धुमानक दायीँ:

- अवधि सम्पादन मध्यरे सुरक्षा प्रदान/स्थानीय बिपर्याप्ति एवं अमल परबर्ति पंचल हानिर दाबार उपस्थापना करिबा।
- बीमा दाबार पाइँ दर्शायाइथवा पंचल एवं बीमा पञ्जिकूत पंचल उत्तराय समान बोलि नियुक्ति कराइबा।

बीमित पंचलरे परिवर्तन: कोषेशि परिवर्तन पाइँ KCC / एग्रि लोन् मञ्चुर करिथवा ब्याङ्क शाखारे त्रुक्त किन्तु प्रिमियम राशि तेबीर हेबार द्वारा दिन पूर्वरु / पञ्जिकरण तारिख, प्रमाणपत्र देखाइबा सहित हेबा उठित्।

#### योजना यम्हनरे सुरक्षा एवं अभियोग दाक्षल पाइँ योगायोग बिद्दु:

- PMFBY डेबाइट [www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in)
- राज्य सरकारक योगायोग बिबरणी: ०७७४-९३५१७९९९
- जिल्ला प्रशासनर योगायोग बिबरणी: बरगढ़-०७७४९-९३३४४४, उद्दुक-०७७४८-९४०९०७, गजपति-०७७४९४-९९९९९४३, याजपुर-०७७९८-९९९०४७, जगतर्थीहपुर-०७७९४-९९००७१

#### जनसुयानस कम्पानीर अभियोग प्रकोष्ठर योगयोग बिबरणी:

अभियोग प्रकोष्ठर टोल्प्रि नम्हर	१८००११८४८४
अभियोग प्रकोष्ठर ठिक्षणा	Oriental House, A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110002
अभियोग प्रकोष्ठर मोल आइडि	csd@orientalinsurance.co.in